प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 23.06.2025

उच्च अधिकारियों द्वारा गठित टीम तथा थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए लकड़ी की अवैध तस्करी करते हुए 02 अभियुक्तगण मय 14 टन वर्मा टीक सागौन (कीमत मार्केट में लगभग 01 करोड रूपये) के साथ गिरफ्तार ।

आज दिनांक 22.06.2025 को थाना भोजपुर पुलिस व उच्चाधिकारीगणो के द्वारा गठित पुलिस टीम के साथ डीएमई अन्डरपास पर संयुक्त रूप से चैकिंग की जा रही थी, चैकिंग के दौरान ब्लॉक के पास से एक ट्रक जिसका नम्बर HR73A3674 है को मुखबिर की सूचना पर दविश देकर पकड़ा गया । ट्रक ड्राइवर व कंडक्टर के कब्जे से ट्रक में भरी स्क्रैप के अन्दर छिपी बर्मा टीक सागौन लकड़ी के 72 नग स्लीपर 140 कुंटल बरामद हुई। ट्रक डाईवर व कंडक्टर से लकडी के सम्बन्ध में विस्तृत पूछताछ की गई तो बताया कि उक्त लकड़ी हम लोग अपने दो साथी जो हरियाणा के रहने वाले हैं, उनके साथ मिलकर बर्मा टीक सागौन को इंफाल मणिपुर से लेकर कोलकाता होते हुए हरियाणा ले जा रहे थे । लकड़ी पुलिस चेकिंग में ना पकड़ी जाए इसलिए इसको हम लोगों ने स्क्रैप के अंदर लकड़ी को छुपा कर रखा था, स्क्रैप के सम्बन्ध में कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। उपरोक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में वन विभाग मोदी नगर टीम को सूचित कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

तस्करी करने वाले अभियुक्तो के नाम-

1.शहजाद पुत्र शरीफ नि0 ग्राम टपराना थाना झिंझाना जिला शामली उम्र करीब 42 वर्ष ।
2. शोएब पुत्र हाशिम नि0 ग्राम टांडा थाना छपरौली जिला बागपत उम्र करीब 27 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

1. 14 टन वर्मा टीक सागौन लकड़ी
2. 20 कुंटल स्क्रैप
3. एक अदद 14 टायरा ट्रक न0 HR73A3674
4. मोबाइल फोन 02
5. नगदी व अन्य कागजात

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगणो के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध मे जानकारी की जा रही है।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 01 पीली धातू की चैन बरामद ।

दिनांक 22.06.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र कौशाम्बी में छिनैती की घटना कारित करने वाले बदमाश प्रज्जवल ठाकुर उर्फ प्रिंस उर्फ पीयूष उर्फ पूसी पुत्र सुशील ठाकुर हाल नि0 मण्डावली, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली मूल नि0 घाटोली, भरतपुर, राजस्थान उम्र करीब 29 वर्ष के द्वारा छिनैती की घटना से संबंधित माल बरामदगी के दौरान एलेवेटिड रोड के नीचे यूपीगेट पुल की तरफ पुलिस पार्टी की तरफ ऐम बनाकर जान से मारने की

नीयत से फायर किया गया और पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर प्राथमिक उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया। गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बाताया गया कि वह अपने साथी आकाश अवस्थी पुत्र राजीव अवस्थी नि0 डी 81 ईस्ट विनोद नगर, दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जगह - जगह मोटर साइकिल/स्कूटी बदल-बदल कर चैन चोरी/लूट/ वाहन चोरी की घटना कारित करते हैं। अभियुक्त प्रज्जवल ठाकुर उर्फ प्रिंस उर्फ पीयूष उर्फ पूसी और आकाश अवस्थी ने मिलकर दिनांक 07 जून को रामप्रस्था गेट नं0 01 के सामने से एक व्यक्ति से चैन चोरी की थी, दिनांक 12 जून को सेक्टर 04 वैशाली, एक्सिस बैंक के सामने भटूरे वाले के पास से एक महिला से चैन चोरी की थी तथा दिनांक 16 जून को सेक्टर 05 वैशाली, सब्जी मण्डी में एक महिला से चैन चोरी की थी, जिसमें से दिनांक 12 जून की चोरी की हुयी चैन अभियुक्त प्रज्जवल ठाकुर उर्फ प्रिंस उर्फ पीयूष उर्फ पूसी उपरोक्त की निशांदेही पर एलीवेटेड रोड के नीचे कच्चे रास्ते पर झाडियों से बरामद की गयी। बाकी की दो चैन दूसरे अभियुक्त आकाश अवस्थी के पास होना बताया है तथा 8 जून को शिप्रा सन सिटी के पास बिहारी मार्केट थाना इंदिरापुरम से एक महिला के गले से मंगल सूत्र छीनने की घटना कारित की थी जिसे हमने राह चलते व्यक्ति को बेच दिया था उक्त घटना में प्रयुक्त स्कूटी अपने घर पर खडी होना बताया गया है। जिस पर रजिस्ट्रेशन नम्बर DL7SCV1845 घटना के बाद नम्बर प्लेट लगाई गई। बरामदगी के दौरान अभियुक्त प्रज्जवल ठाकुर उर्फ प्रिंस उर्फ पीयूष उर्फ पूसी द्वारा पीली धातु की चैन के साथ छिपाये गये तमंचे .315 बोर से अचानक पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

* प्रज्जवल ठाकुर उर्फ प्रिंस उर्फ पीयूष उर्फ पूसी पुत्र सुशील ठाकुर हाल नि0 मण्डावली, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली मूल नि0 घाटोली, भरतपुर, राजस्थान उम्र करीब 29 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

* 01 तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 01 पीली धातु की चैन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

* गिरफ्तार अभियुक्त प्रज्जवल ठाकुर उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली एनसीआर में लूट, चोरी, छिनैती आदि से सम्बन्धित 01 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त पूर्व में भी कारित अपराधों में दिल्ली से जेल गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

स्वाट टीम ग्रामीण जोन/थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान हत्या की घटना कारित करने वाला 25000 रु0 का इनामी अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार,कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर

01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व चोरी की 01 स्प्लेंडर मोटर साइकिल बरामद।

आज दिनांक 22/23.06.2025 की रात्रि में थाना मुरादनगर पुलिस व स्वाट टीम ग्रामीण जोन द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु सलेमाबाद झाल पर लगातार चेकिंग की जा रही थी तभी एक बाइक सवार व्यक्ति रावली रोड की ओर से आता हुआ दिखाई दिया जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम को देखकर हुसैनपुर रोड की तरफ मोटरसाइकिल से तेजी से भागने लगा जिसका पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया तो डीडार गांव की तरफ जाने वाले रोड से मिल्क रावली को जाने वाले खड़ंजे पर मोटरसाइकिल को तेजी से मोड कर भागने लगा तभी उसकी मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई ,जिसे पुलिस टीम द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसने अपने आप को घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया टीम द्वारा अपना बचाव करते हुये आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में फायर किया जिसमें गोली चलाने वाले अभियुक्त के पैर मे गोली लगी जिससे अभियुक्त घायल होकर नीचे गिर गया। पुलिस टीम द्वारा मौके से एक अभियुक्त अजय उर्फ मिनी उर्फ छोटू पुत्र राजवीर निवासी ग्राम मिल्क रावली थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद बताया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर   01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व चोरी की 01 स्प्लेंडर मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 18.06.2025 को मुरादनगर क्षेत्र मे हुई हत्या में मैं शामिल था , आज मैं अपने गांव जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अजय उर्फ मिनी उर्फ छोटू पुत्र राजवीर निवासी ग्राम मिल्क रावली थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।

*गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर हत्या का 01 मुकदमा पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

स्वाट टीम ग्रामीण जोन/थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा फैक्ट्री से चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से चोरी का सामान बरामद।

आज दिनांक 23.06.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान फैक्ट्री से चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. समीर उर्फ मिम्मी पुत्र हबीब निवासी ग्राम विशोखर थाना मोदीनगर गाजियाबाद 2. छोटू पुत्र अब्दुल करीम निवासी सब्जी मंडी देवी मंदिर के पास सरधना थाना सरधना जिला मेरठ हाल पता फुटपाथ थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद को थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 वैल्डिंग मशीन, 01 केबल, लाल रंग की डोरी, 01 ग्लैण्डर व प्लक आदि सामान बरामद हुआ। उक्त के सम्बन्ध में

थाना मोदीनगर पर पूर्व से धारा 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है तथा माल बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मशीन, गलैन्डर आदि सामान हमने अपने अन्य साथी के साथ मिलकर कुछ दिन पहले मोदीनगर क्षेत्र की एक फैक्ट्री से चोरी किया था। आज हम इस चोरी के सामान को बेचने के लिए ले जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. समीर उर्फ मिम्मी पुत्र हबीब निवासी ग्राम विशोखर थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष
2. छोटू पुत्र अब्दुल करीम निवासी सब्जी मंडी देवी मंदिर के पास सरधना थाना सरधना जिला मेरठ हाल पता फुटपाथ थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 वैल्डिंग मशीन, 01 केबल, लाल रंग की डोरी, 01 ग्लैण्डर व प्लक आदि सामान बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम ---

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 25 हजार का ईनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनाक 23.06.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा थाना मसूरी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नाहल में हुई पुलिस सिपाही की हत्या की घटना के सम्बध में थाना मसूरी पर धारा 191(2)/191(3)/190/131/125/121(2)/132/109(1)/103(1)/61(2)/50/351(3) बीएनएस व धारा 7 सीएलए एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में वांछित 25000/- के इनामी अभियुक्त खुर्शेद पुत्र इंशाअल्लाह निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 55 वर्ष को नहर की पट्टी से नाहल को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त खुर्शेद ने पूछने पर बताया गया कि मेरे गावं के कादिर पर कई मुकदमें दर्ज हैं जिस दिन नोएडा पुलिस कादिर को पकडने आयी थी पुलिस को गांव के लोगो द्वारा घेर लिया गया था तथा पथराव व फायरिंग की गयी थी जिसमें एक सिपाही की गोली लगने से मृत्यु हो गयी थी मैं भी उस घटना में शामिल था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

खुर्शेद पुत्र इंशाअल्लाह निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 55 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरूद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त घटना के संबंध में हत्या का 01 अभियोग पजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा चोरी करने की योजना बनाने वाले 03 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू व चोरी करने के उपकरण 01 पेचकस, 01 छोटा प्लास्टिक व लोहे का टी आकार का नुकीला उपकरण, 02 लोहे की रॉड व 01 ईको गाडी बरामद।

आज दिनांक 23.06.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी करने की योजना बनाने वाले 03 अभियुक्तों 1.राजेश पुत्र महेश निवासी डी ब्लॉक शांति नगर शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली, उम्र करीब 28 वर्ष 2. हिमांशु पुत्र स्व राकेश निवासी डी-46 शांति नगर शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली, उम्र करीब 34 वर्ष 3. मोहित पुत्र नरेन्द्र निवासी हाल पता डी-56/1 शांति नगर शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली मूल पता ग्राम जौहडी थाना बिनौली जिला बागपत, उम्र करीब 24 वर्ष को बैहटा पुलिया लावण्या फार्म हाउस के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 01 अवैध चाकू व चोरी करने के उपकरण 01 पेचकस, 01 छोटा प्लास्टिक व लोहे का टी आकार का नुकीला उपकरण, 02 लोहे की रॉड व 01 ईको गाडी बरामद बरामद हुयी। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 312/313/112(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम रात्रि में आने-जाने वाले लोगों से मौका पाकर मोबाइल लूट व किसी मकान/दुकान को टारगेट बनाकर चोरी कर लेते हैं। आज हम चोरी करने के इरादे से यहाँ अपनी गाडी में बैठकर योजना बना रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.राजेश पुत्र महेश निवासी डी ब्लॉक शांति नगर शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली, उम्र करीब 28 वर्ष

2. हिमांशु पुत्र स्व राकेश निवासी डी-46 शांति नगर शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली, उम्र करीब 34 वर्ष

3. मोहित पुत्र नरेन्द्र निवासी हाल पता डी-56/1 शांति नगर शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली मूल पता ग्राम जौहडी थाना बिनौली जिला बागपत, उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से 01 अवैध चाकू व चोरी करने के उपकरण 01 पेचकस, 01 छोटा प्लास्टिक व लोहे का टी आकार का नुकीला उपकरण, 02 लोहे की रॉड व 01 ईको गाडी बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त मोहित के विरुद्ध थाना लोनी पर लूट के 03 अभियोग, आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग, चोरी / लूट करने की योजना बनाने का 01 अभियोग पंजीकृत हैं। (कुल अभियोग -05)अभियुक्तों के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर चोरी या लूट करने का प्रयास करने का धारा 312/313/112(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 03.06.2025 को थाना संगम विहार दिल्ली पर पंजीकृत जीरो एफआईआर का घटनास्थल थाना क्षेत्र खोड़ा गाजियाबाद का होने के कारण थाना खोड़ा पर धारा 64(1),115(2),351(2) बीएनएस व 67ए आईटी एक्ट का अभियोग अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र वासुदेव निवासी दिउरैय्या थाना पटियाली जनपद कासगंज हाल निवासी शिव पार्क खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक क्रम में दिनांक 22.06.2025 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट, सर्विलांस तथा मुखबिर की सूचना के आधार पर दुष्कर्म के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र वासुदेव निवासी दिउरैय्या थाना पटियाली जनपद कासगंज हाल निवासी शिव पार्क खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को इन्दिरापुरम अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र वासुदेव उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र वासुदेव उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त व वादिया एक ही कम्पनी BJD Sector 65 Nolda में काम करते थे तथा खोड़ा कॉलोनी में एक ही मकान में अलग-अलग कमरे में किराये पर रहते थे। धीरे-धीरे दोनों ने बातचीत करना प्रारम्भ कर दिया। एक दिन अभियुक्त ने बहाने से वादिया का फोन ले लिया जिसमें अभियुक्त ने वादिया की कुछ फोटो व वीडियो देखी जो अभियुक्त ने अपने पास रख ली। जिनको लेकर अभियुक्त वादिया को ब्लैकमेल करने लगा तथा अभियुक्त ने फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे पैसे लिये व वादिया के साथ दुष्कर्म करने की घटना कारित की। कुछ दिन बाद वह अपने घर वापस चली गयी तो अभियुक्त वादिया की फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शादी का दवाब बनाने के लिए वादिया के रिश्तेदारों को भेज दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

सुनील कुमार पुत्र वासुदेव निवासी दिउरैय्या थाना पटियाली जनपद कासगंज हाल निवासी शिव पार्क खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र वासुदेव उपरोक्त के विरूद्ध थाना खोडा पर दुष्कर्म के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा महिला की गला दबाकर हत्या की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 18.06.2025 की को डायल 112 व थाना साहिबाबाद पर सूचना प्राप्त हुई कि मकान न0 380 मैन श्याम पार्क गली न0 3 मोहननगर थाना साहिबाबाद में पाँचवी मंजिल पर बने कमरे में एक किरायेदार महिला मृत अवस्था में पडी है। इस सूचना पर थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम कराया गया। महिला की पहचान श्रीमती सोनिया पत्नी श्री कमलेश निवासी ग्राम गरी महोल्ला चिरवारी थाना नवगवाँ जिला छत्तरपुर मध्यप्रदेश हाल किराये दार म0न0 380 मैन श्याम पार्क गली न0 3 मोहननगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष हुई । मृतिका के पति 8-10 दिन पहले मजदूरी करने गुजरात गये हुए थे। जिन्हें घटना की सूचना जरिये दूरभाष दी गयी। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि मृतका की हत्या गला दबाकर की गयी है। जिसकी जानकारी मृतका के परिजन को दी गयी। मृतका के पति द्वारा दिनांक 22.06.2025 को थाना साहिबाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया जिसके क्रम में थाना साहिबाबाद पर धारा 103 (1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटनाक्रम में थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस की सहायता से महिला की गला दवाकर हत्या की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त किशन पाल पुत्र राम सिह निवासी ग्राम बहादरपुर थाना राजेपुर जिला फरुखाबाद प्रकाश में आया। जिसके क्रम में आज दिनांक 23.06.2025 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर महिला की गला दवाकर हत्या की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त किशनपाल पुत्र राम सिह निवासी ग्राम बहादरपुर थाना राजेपुर जिला फरुखाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त किशनपाल पुत्र राम सिह उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त किशनपाल पुत्र राम सिह उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि करीब 2 वर्ष पहले अभियुक्त का सम्पर्क इंस्टाग्राम के जरिये मृतका से हुआ था। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी। अभियुक्त कई बार मृतका से मिलने उसके किराये के कमरे पर आता था और दोनों की सहमति से शारारिक सम्बन्ध बनाए थे। उस दौरान अभियुक्त मृतका से शादी करने के लिए कहा था परन्तु मृतका शादी के लिए तैयार नही हुई। करीब 01 वर्ष पहले अभियुक्त की शादी चाँदनी नाम की लड़की से हो गई। जिससे अभियुक्त को करीब 01 महिने की बेटी भी है। इसीक्रम में पिछले काफी महिनों से मृतका अभियुक्त पर काफी दवाब बना रही थी कि तुम अपनी पत्नी को छोड़कर गाजियाबाद में आकर मेरे साथ रहो तथा अभियुक्त से हर महिने पैसे भी मागती थी। अभियुक्त ने मृतका को समझाने का प्रयास किया कि अब मेरे परिवार ने मेरी शादी कर दी है और मेरे एक बेटी भी है मैं उसे छोडकर तुम्हारे साथ नही रह सकता हूँ। परन्तु मृतका अभियक्त पर लगातार दबाव बना रही थी और अभियुक्त से कई बार बखेडा करने व मेरी शिकायत करने की बात कह चुकी थी। अभियुक्त इन सारी बातों से काफी परेशान हो चुका था और मानसिक तनाव में था। दिनांक 17.06.2025 को अभियुक्त अपने घर से मृतका की हत्या करने का इरादा बनाकर निकला था व दिनांक 18.06.2025 की सुबह अभियुक्त मृतका के पास उसके किराये के कमरे पर पहुँच गया, उस समय मृतका के दो छोटे बच्चे भी घर पर थे, मृतका के कमरे पर पहुँचने के बाद वही नहाया व खाना खाया। जिस

समय अभियुक्त नहाकर कमरे मे तोलिया लपेटे खडा था उस दौरान इसी बिल्डिंग में रहने वाला पडोस का एक लडका अचानक मृतका के कमरे के दरवाजे को खोलकर देख रहा था परन्तु वह लडका तुरंन्त वहा से चला गया। अभियुक्त व मृतका ने बच्चों के सो जाने के बाद सम्बन्ध बनाये थे। उसके बाद अभियुक्त ने मृतका को काफी समझाने का प्रयास किया परन्तु मृतका इसी जिद पर अडी थी कि तुम अपनी पत्नी को छोड़कर यही गाजियाबाद में रहो और मेरे बुलाने पर मुझसे मिलते रहो, इन्ही बातों से तंग आकर अभियुक्त ने मन बना लिया कि अब मुझे सोनिया की हत्या करनी है अभियुक्त ने कमरे में चल रहे टीवी की आवाज तेज कर दी। उस दौरान मृतका के दोनों बच्चे कमरे के बाहर खेल रहे थे। मृतका बेड पर लेटी हुई थी और अभियुक्त उसके पास बेड पर बैठा था। अभियुक्त पहले उसकी चुन्नी को मृतका के गले पर रखता है। जिससे उंगलियों के निशान उसके गले पर ना छिपे और पूरी ताकत लगाकर उसका गला दबा देता है, थोडी देर तक उसने अपने हाथ पैर को इधर उधर मारा उसके बाद वह शान्त पड गयी। जिससे अभियुक्त को यकिन हो गया कि सोनिया मर गयी है। उसके बाद अभियुक्त वहाँ से रेलवे स्टेशन साहिबाबाद होता हुआ अपने गाँव चला गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

किशनपाल पुत्र राम सिह निवासी ग्राम बहादरपुर थाना राजेपुर जिला फरुखाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

चुन्नी (डुपट्टा)।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त किशनपाल पुत्र राम सिह के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर हत्या के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चौकी क्षेत्र पाईप मार्केट में बैटरी व इन्वर्टर की दुकान में लूट की घटना में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट का 01 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 08.05.2025 को थाना साहिबाबाद पर सूचना प्राप्त हुई कि चौकी क्षेत्र पाइप मार्केट में श्री वैभव जैन पुत्र स्व0 श्री नरेश कुमार जैन निवासी टी-2-801 पार्श्वनाथ रेगलिया जीटी रोड़ थाना साहिबाबाद गाजियाबाद की बैटरी व इन्वर्टर की ध्रुव इलैक्ट्रानिक नाम की दुकान में 04 अज्ञात बदमाशों द्वारा हथियारों के बल पर 1,50,000/- रु0 व 03 मोबाइल फोन लूटने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर धारा 309(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्तक्रम में दिनांक 22/23.06.2025 को स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरे, सर्विलांस, मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर चौकी क्षेत्र पाईप मार्केट में बैटरी व इन्वर्टर की दुकान में लूट की घटना में वाँछित 01 अभियुक्त विशाल उर्फ रिहान पुत्र नरेश

निवासी- गली न0-2 के सामने बलराम नगर लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को अम्बेडकर पार्क चौकी क्षेत्र हिन्डन पुल के पास से लूट का 01 मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त विशाल उर्फ रिहान पुत्र नरेश उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त घटना के अनावरण हेतु गठित स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरे, सर्विलांस, मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर चौकी क्षेत्र पाईप मार्केट में बैटरी व इन्वर्टर की दुकान में लूट की घटना कारित करने वाले प्रकाश में आए 05 लुटेरों में से 02 लुटेरे 1. दानिश पुत्र अखलाक कुरैशी निवासी मुगल गार्डन थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष व 2. वीरू उर्फ वीरेन्द्र पुत्र सतवीर सिंह निवासी आकाश विहार रामविहार बन्थला थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को दिनांक 11/12.05.2025 की रात्रि में पुलिस मुठभेड़ के दौरान तथा दिनांक 12.05.2025 को 02 अन्य लुटेरे हैदर पुत्र फईयाद अली निवासी वंशराज स्कूल के पास गेट न0 1 म0न0 347 खन्ना नगर लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष व विशाल पुत्र राकेश कुमार निवासी सरस्वती विहार गली न0 2 जैनग्रुप बर्फ फैक्ट्री के पास नाईपुरा थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष को गिरफ्तार किया गया था। उक्त चारों अभियुक्तों को पूर्व में ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त विशाल उर्फ रिहान पुत्र नरेश से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथी दानिश, हैदर, वीरु एवं विशाल पुत्र राकेश कुमार के साथ मिलकर दिनांक 08.05.2025 समय शाम करीब 4.50 बजे राजबाग मैट्रो स्टेशन के पास एक इन्वर्टर बैटरी की ध्रुव इलैक्ट्रानिक के नाम से दुकान में घुसकर तमंचे के बल पर दुकान मालिक से 80,000/- रु0 तथा दुकान में मौजूद वैभव जैन एवं उनके यहाँ काम करने वाले 02 व्यक्तियों से 03 मोबाइल फोन लूटे थे। इस घटना की योजना वीरू उर्फ वीरेन्द्र द्वारा बनायी गयी थी। जिसमें अभियुक्त विशाल पुत्र राकेश ने सूचना दी थी कि पाईप मार्केट साहिबाबाद में ध्रुव इलैक्ट्रानिक्स के नाम से एक इन्वेटर बैटरी की होल सेल की दुकान है। जिसका दुकान मालिक विकलांग है। जिसकी दुकान पर हर समय 20 से 25 लाख रूपये कैश रहता है, जिसे आसानी से लूटा जा सकता है। इसी कारण उक्त लूट की घटना को अंजाम दिया परन्तु दुकान में मात्र 80,000/- रू0 ही मिले।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विशाल उर्फ रिहान पुत्र नरेश निवासी- गली न0-2 के सामने बलराम नगर लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

लूट का 01 मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त विशाल उर्फ रिहान पुत्र नरेश उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर लूट से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम